283

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : जे0 के0 जैन
सदस्य

प्रकरण कमांक– एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2018/1294 विरूद्ध आदेश दिनांक 02–01–2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 49/2016–17/अपील

पुनीत सिंह पुत्र सोवरन सिंह गुर्जर
निवासी–ग्राम सीहोर, तहसील नरवर
जिला–शिवपुरी, म0प्र0

–––––आवेदक

विरूद्ध

महिला गया पुत्री सोवरन पत्नी रघुवीर सिंह गुर्जर
निवासी–ग्राम पनुहा, तहसील नरवर
जिला–शिवपुरी, म0प्र0

–––––अनावेदिका

– – – – – –

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 28.8. 2019)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 02–01–2018 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सीहोर तहसील नरवर जिला शिवपुरी स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक किता–6 कुल रकबा 3.29

हैक्टेयर का बटवारा किये जाने हेतु आवेदक पुनीत सिंह द्वारा तहसीलदार परगना नरवर जिला शिवपुरी के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 86/2014–15/अ–27 पर दर्ज किया जाकर दिनांक 20–10–2015 को बटवारा आदेश पारित किया गया। तहसील न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी करैरा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 101/2015–16/अपील में पारित आदेश दिनांक 27–09–2016 से तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त किया तथा पटवारी को आदेशित किया कि वह उभयपक्षों को फर्द बटवारा तैयार कर सूचना दे एवं उभयपक्ष की उपस्थिति में संहिता की धारा 178 के नियमों के अनुसार फर्द बटवारा प्रस्तुत करें। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त न्यायालय में प्रकरण कमांक 49/2016–17/अपील पंजीबद्ध किया गया तथा पारित आदेश दिनांक 02–01–2018 को अपील सारहीन मानकर निरस्त किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क किया कि आवेदक और अनावेदक भाई बहन है। दोनों का नाम अभिलेख पर है। आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में बटवारे के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। दिनांक 14–10–2015 को विचारण न्यायालय की प्रोसिडिंग को देखें जिसमें लेख है कि अनावेदिका स्वतः उपस्थित हुई। उसके द्वारा समक्ष में शपथ पत्र प्रस्तु कर फर्द अनुसार बटवारा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की है। तद्नुसार बटवारे का आदेश हो गया। इन्हें काफी कम जमीन दी गई है यह सही है। लेकिन यह भी सही है कि उसमें अनावेदिका की सहमति थी। बाद में किसी के उकसाने पर अनुविभागीय अधिकारी के यहां अपील की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने अपीलीय आदेश में यह उल्लेख किया कि

आवेदक द्वारा आवेदक धारा 178 की उप धारा (1) के अधीन प्रस्तुत किया गया जिसपर कार्यवाही न करते हये 178(क) में करके नियमों के विपरीत आदेश पारित कर दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने यह उल्लेख किया है कि पटवारी का फर्द बटवारा प्रस्तु करने का आदेश दिया साथ ही यह भी उल्लेख किया कि प्रकरण के अवलोकन से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी को कोई फर्द प्रस्तुत करने संबंधी न तो कोई पत्र जारी किया गया और न ही नोटिस। पटवारी द्वारा दो दिवस के अन्दर फर्द बटवारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि धारा 178 के नियमों के विपरीत है। इससे पटवारी के आचरण एवं निष्ठा के प्रति शंका उत्पन्न होती है। अनुविभागीय अधिकारी के इस उल्लेख में विरोधाभास है। जब स्वयं अनुविभागीय अधिकारी के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15–9–2015 को फर्द बटवारा प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था तो क्या यह उल्लेख करना, कि फर्द बटवारा प्रस्तुत करने संबंधी कोई सूचना जारी नहीं की गई और न ही कोई नोटिस, सही है। मूल तथ्य यह है कि आदेश का पालन पटवारी द्वारा किया गया। उक्त फर्द बटवारे को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद उभय पक्ष के मध्य नहीं था फिर भी नियमों का पालन नहीं होने के आधार पर तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया गया है। तहसीलदार ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि धारा 178(क) के अन्तर्गत आदेश पारित नहीं किया गया है। सहमति के आधार पर पारित किये गये आदेश की कोई अपील नहीं की जा सकती। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष मामला अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत
लिमिटेशन के बिन्दु पर आदेश होना नियत था किन्तु उनके द्वारा अंतिम आदेश पारित कर दिया गया । उन्हें चाहिए था कि पहले म्याद के बिन्दु पर निपटारा करते।

4/ उत्तर में अनावेदक अधिवक्ता की ओर से यह तर्क किया गया कि दोनों का संयुक्त रूप से नाम दर्ज है। हमारी सहमति नहीं थी। अपर आयुक्त ने भी तहसीलदार की आदेश पत्रिका का उल्लेख किया है। उभय पक्ष अधिवक्ता की उपस्थिति का सूचना पत्र भी जारी करने का उल्लेख किया है। हम उपस्थित

नहीं हुये थे। दिनांक 19–8–2015 को विज्ञपत्ति प्रकाश का आदेश हुआ था और तहसील न्यायालय ने दिनांक 15–9–2015 की तारीख लगाई गई जबकि आवेदक ने अतिविलम्ब से दिनांक 12–9–2015 को समाचार पत्र में प्रकाशन कराया। आपसी सहमति होती तो प्रकाशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कुल 3.29 हेक्टर में से 0.05 हेक्टर भूमि बटवारा में मुझे दी गई है। अनुविभागीय अधिकारी के यहां अपील की गई। तहसील न्यायालय की पूरी कार्यवाही फर्जी है तथा छल–कपट से की गई। प्रकरण की मुझे कोई जानकारी नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया है जिसे अपर आयुक्त ने सही पाया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

प्रतिउत्तर में आवेदक अधिवक्ता ने तर्क किया कि दिनांक 14–10–2015 की आदेश पत्रिका पर अनावेदक के हस्ताक्षर हैं। यह भी कहा कि उसने स्वयं बटवारे के लिए सहमति व्यक्त की है और शपथ–पत्र भी इस आशय का दिया है।

5/ उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 की उपधारा 1 के अधीन प्रस्तुत आवेदन का निराकरण इस धारा के अन्तर्गत निर्मित नियमों के अधीन ही किया जा सकता है। यह निर्विवादित है कि दोनों सहखातेदार के मध्य किया गया बटवारा अत्यंत ही गैर अनुपातिक और असमान है। बटवारा नियम 5 के अन्तर्गत खातों का निर्धारण सह–भू–धारियों द्वारा खाते में धारित अंशो के अनुपात में बांटा जाना आवश्यक है। नियम 6 के अन्तर्गत विभाजन उपरांत तहसीलदार आपत्ति भी सुनेगा जो कि पक्षकार करे। ऐसी स्थिति में यह तो निश्चित है कि खाते के विभाजन में किसी प्रकार का समान विभाजन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में धारा 178 के अधीन निर्मित निमयों का पालन नहीं किया जाना प्रथमदृष्टया ही सिद्ध है। यदि नियम 7 के अनुसार सह–भू–धारियों को कय करने की बात होती, तो यह एक अलग मुद्दा है। किन्तु इस प्रकरण में हुआ गैर अनुपातिक

विभाजन कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है। यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि इस मामले में धारा 178(क) से कोई संबंध नहीं है।

6/ उपरोक्त आधार पर अधीनस्थ दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा निकाले गये निष्कर्ष सही पाये जाते हैं। जहां तक कि आवेदक अधिवक्ता का यह तर्क है कि सहमति के आधार पर किये गये आदेश की अपील नहीं की जा सकती यह उल्लेख करना जरूरी है कि नियमों के विरूद्ध किसी भी तरह की सहमति वैध नहीं है तथा उस के आधार पर किये गये आदेश के विरूद्ध अपील की जा सकती है। अतः निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 02–01–2018 एवं अनुविभागीय अधिकारी करैरा का आदेश दिनांक 27–09–2016 स्थिर रखा जाता है।

(जे0के0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर